कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष 2023-24

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े.....

..... दिव्यांगजन का मान बढ़े

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक
(परफार्मेन्स बजट)
वर्ष 2023-24

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े
दिव्यांगजन का मान बढ़े

उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का वर्ष 2023–24 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

आशा है कि यह समाज के सबसे असहाय, दुर्बल एवं शासकीय सहायता के सर्वाधिक पात्र वर्ग दिव्यांगजन के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाओं को गतिशीलता प्रदान करने के साथ–साथ प्रभावी सिद्व होगा।

नरेन्द्र कश्यप
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृ.सं.
1.	भूमिका	01–7
2.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ0प्र0 की संरचना	8
3.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के मुख्य दायित्व	8
4.	दिव्यांगजनों के पुनर्वासन हेतु मार्च 17 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य/निर्णय	9–10
5.	दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ।	11–19
6.	नवीन योजनाएँ	19–20
7.	विभाग के कार्यक्रम/योजनाओं हेतु निर्धारित महत्वपूर्ण लक्ष्य	21
8.	वर्ष 2023–24 में प्राविधानित धनराशि का विवरण	22–25
9.	वित्तीय आवश्यकताओं, कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	26–29
10.	उद्देश्यवार वर्गीकरण	30
11.	वित्तीय संसाधनों के स्रोत	31
12.	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे पदों का विवरण	32–37
13.	प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट	38

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश
वर्ष 2023-24 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक
परफार्मेन्स बजट

भूमिका

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्याँगताओ से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है :-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या का विवरण

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या		3166615	990899	4157514
	पुरूष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता		579182	184806	763988
	पुरूष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता		202152	64434	266586
	पुरूष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता		753704	274131	1027835
	पुरूष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता		543203	134510	677713

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 के समस्त जनपदों में (तत्समय) निवासरत महिला एवं पुरूष दिव्यांगजन की जनसंख्या का जनपदवार विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरूष	महिला
1	आगरा–	120117	67708	52409
2	मैनपुरी–	33563	19796	13767
3	मथुरा–	51179	30154	21025
4	फिरोजाबाद–	50582	29718	20864
5	अलीगढ़–	75974	43398	32576
6	हाथरस	26547	15661	10886
7	एटा–	31245	18238	13007
8	कासगंज	23771	13745	10026
9	झांसी–	38796	22283	16513
10	ललितपुर–	17985	10413	7572
11	जालौन–	31251	18283	12968
12	हमीरपुर–	19055	11116	7939
13	महोबा–	15681	8955	6726
14	बांदा–	27972	16630	11342
15	चित्रकूट–	15403	8833	6570
16	लखनऊ–	122113	68070	54043
17	रायबरेली–	62230	34855	27375
18	हरदोई–	74082	43818	30264
19	उन्नाव–	63730	36261	27469
20	सीतापुर–	89157	51851	37306
21	खीरी–	71959	41458	30501
22	बरेली–	92300	53187	39113
23	बदायूं–	69688	40796	28892
24	पीलीभीत–	37181	22090	15091
25	शाहजहांपुर–	58073	33730	24343
26	मेरठ–	66225	37888	28337

क्रमांक	जनपद	दिव्यांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरूष	महिला
57	प्रतापगढ़–	77912	42326	35586
58	कानपुर नगर–	116292	68633	47659
59	कानपुर देहात	35804	21323	14481
60	फरूर्खाबाद–	31497	19041	12456
61	कन्नौज–	31308	18692	12616
62	औरय्या–	27645	16701	10944
63	इटावा–	31196	18788	12408
64	अयोध्या–	45767	25671	20096
65	अम्बेडकरनगर–	46580	25864	20716
66	सुल्तानपुर–	72931	40376	32555
67	बाराबंकी–	72256	41381	30875
68	गोण्डा–	62452	35729	26723
69	बलरामपुर–	30500	17573	12927
70	श्रावस्ती	20921	11885	9036
71	बहराईच–	71718	41316	30402
	कुल योग	**4157514**	**2364171**	**1793343**

नोटः शामली, हापुड़, सम्भल, अमेठी, बाद में सृजित होने के कारण पूर्व जनपद में ही दिव्याँगजनों का आगणन सम्मिलित है।

समाज के विशेष रूप से असहाय, निराश्रित सुविधाविहीन दिव्यांग वर्ग के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 12 अगस्त, 1995 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग का गठन किया गया है।

(ई) "अभिवाक् और भाषा निःशक्तता" से लेराइनजेक्टोमी या अफ़ेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2– "बौद्धिक निःशक्तता" से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत –

(क) "विनिर्दिश्ट विद्या निःशक्तता" से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;

(ख) "स्वलीनता स्पफक्ट्रम विकार" से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति की संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे–पिटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3– **मानसिक व्यवहार–**

"मानसिक रूग्णता" से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रूकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का समान्य से कम होना है।

4– **निम्नलिखित के कारण निःशक्तता–**

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे–

I. "बहु–स्केलेरोसिस" से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिश्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक–दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

II. "पार्किसन रोग" से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता, और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति–

I. "हेमोफीलिया" से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरूषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरूष बालकों को संप्रेषित किया जाता है, इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

II. "थेलेसीमिया" से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है।

III. "सिक्कल कोशिका रोग" से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं में परिलक्षित होता है। "हेमोलेटिक" लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिश्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है:

5– बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएँ अभिप्रेत हैं।

6– कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएँ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु मार्च, 2017 से अब तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य/निर्णय

1. सरकार द्वारा 'विकलांग' शब्द को हटाते हुए विभाग का नाम दिनांक 26 अप्रैल, 2017 से "दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग" कर दिया गया व विकलांग शब्द का प्रयोग वर्जित करते हुए तद्स्थान दिव्यांग शब्द का प्रयोग किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग हेतु सरकार द्वारा रू0 660 करोड़ के बजट प्राविधान में वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 1556.82 करोड़ कर दिया गया है जो वित्तीय वर्ष 2016–17 के सापेक्ष 235.88 की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।

3. **दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान योजना :–**

योजनान्तर्गत पूर्व में रू0 300/– प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे सरकार द्वारा दिनांक अप्रैल, 2017 से बढ़ा कर रू0 500/– व दिसम्बर, 2021 से पुनः बढ़ा कर रू0 1000/– प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर पेंशनर्स की संख्या 8,75,992 थी, वह अद्यतन् 11,26,670 हो गयी है। इस प्रकार वर्ष 2017 के पश्चात अद्यतन् 2,50,678 नवीन दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।

4. **कुष्ठावस्था पेंशन योजनाः–**

कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए दिव्यांगजन को रू0 2500/– प्रति माह की दर को बढ़ाते हुएदिसम्बर, 2021 से रू0 3000/–प्रति माह किया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में पेंशनर्स की संख्या 4,765 थी, जो अद्यतन् 11,584 है। इस प्रकार सरकार द्वारा 6,819 नवीन कुष्ठजनित दिव्यांगजन को चिन्हित कर लाभान्वित किया गया है।

5. **कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनाः–**

दिव्यांगजन को अधिकतम अनुदान रू0 8,000/–से बढ़ा कर फरवरी, 2019 से रू0 10,000/– कर दिया गया है।शासन द्वारा फरवरी, 2018 से दिव्यांगजन को 'सहायक उपकरणों' के साथ–साथ 'कृत्रिम अंग' भी देने की व्यवस्था की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक योजनान्तर्गत कुल 2,56,165 विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों का वितरण किया गया है।

6. **उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा योजनाः–**

सरकार द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क बस यात्रा सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों में उनके अन्तिम गन्तव्य स्थल तक (चाहे व राज्य की सीमा से बाहर ही क्यों न हो) किये जाने का शासनादेश दिनांक 24 जुलाई, 2017 को जारी कर दिया गया।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2022–23 तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिव्यांगजन की निःशुल्क बस यात्राओं के सापेक्ष अद्यतन् कुल रू0 170.05 करोड़ का भुगतान किया गया है।

7. **राज्य स्तरीय पुरस्कारः–**

सरकार द्वारा दिनांक 26 जून, 2017 को प्रति वर्ष प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार की विविधता

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ

1– संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ,आगरा ,बरेली, फर्रूखाबाद, गोरखपुर :

लखनऊ, बरेली, फर्रूखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक–एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रूखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रूखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता –60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता–40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र की क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/– तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ–साथ रू0 2000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों की स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत है–

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
05	आवासीय	330
	अनावसीय	460
	योग	790

2– स्पर्श(बालक /बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)लखनऊ, गोरखपुर, बॉदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक–एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक–एक इण्टर कालेज संचालित हैं। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200–200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100–100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25–25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्वति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/–होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ–साथ प्रति छात्र/छात्रा रू0 2000/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में स्वीकृत छात्र क्षमता निम्नवत् है :

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक–एक, प्रयाराज/मेरठ मे छात्रों हेतु एक–एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200–200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासो के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू0 3377.85 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 1970.73 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू 4363.40 लाख का प्राविधान है।

6. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ गोरखपुर तथा बॉदा–

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक–एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50–50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50–50 है। बॉदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मशालाओं में स्वीकृत क्षमता निम्नवत् हैः–

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	125
	योग	275

7. कौशल विकास केन्द्र(शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव –

शाारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ रू0 2000/– प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। प्रयागराज एवं उन्नाव में 50 आवासीय एवं 50 अनावासीय एवं वाराणसी में 60 आवासीय एवं 40 अनावासीय संवासियों की क्षमता है।

जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 167.42 लाख का प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रू0 122.88 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 मे रू0 221.67 लाख का प्राविधान है।

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता
03	आवासीय	150
	अनावसीय	0
	योग	**150**

11. अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान वाराणसी का संचालनः–

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तीकरण संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल रू0 49.61 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 26.01 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 49.60 लाख का प्राविधान है।

12. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :–

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 37.17 लाख के प्राविधान के सापेक्ष अद्यतन तक कुल रू0 27.02 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 37.15 लाख का प्राविधान है।

13. बचपन डे केयर सेन्टर्स की स्थापना एवं संचालनः–

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज,वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा,सहारनपुर,झॉसी,बरेली, गौतमबुद्धनगर (प्रत्येक 30बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008–09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009–10 से दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1–1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ–साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित

17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रू0 10000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रू0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रू0 240.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष रू0 1744.18 लाख व एस0सी0पी0 में रू. 106.24 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रू0 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रू0 240.00 लाख का प्राविधान है।

18. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रू0 20000/– तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रू0 35,000/– तथा दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रू0 15,000/– की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 264.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष रू0 44.80 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 264.00 लाख का प्राविधान है।

19. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति :–

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 4000.00 लाख का प्राविधान उपलब्ध था। उपर्युक्त प्राविधान के सापेक्ष उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 2355.82 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रूपया 1000.00 लाख उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रूपया 3000.00 लाख का प्राविधान है।

20. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु रू0 12.50 लाख का प्राविधान के सापेक्ष रू0 6.48 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 12.50 लाख का प्राविधान है।

21. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायताः–

दिव्यांगजन सशक्तीकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनो को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 35.00 लाख का प्राविधान किया गया। जिसके सापेक्ष रू. 15.07 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रूपया 35.00 लाख का प्राविधान है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में रू0 20.00 लाख के वजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 30.00 लाख का प्राविधान है।

27. दिव्यांगजन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा–1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 300.00 लाख पूँजीगत पक्ष में प्राविधान किया गया है।

28. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना

सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 400.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 60.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

29. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राई–साइकिल की योजना–

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100–100 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई–साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। योजनान्तर्गत रू. 3256.00 लाख का बजट का प्राविधान वर्ष 2022–23 में किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु रू. 100.00 लाख का प्राविधान है।

30. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन –

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा 88(1) एवं उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली–2017 की धारा 33(1) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन किया गया है।

दिव्यांगजनों के लिए राज्य निधि के अन्तर्गत प्रतिवर्ष रू0 500.00 लाख की धनराशि का प्राविधान है। राज्यनिधि मद में वर्ष 2018–19 से वर्ष 2021–22 तक 05 वित्तीय वर्ष में कुल रू. 2500.00 लाख की धनराशि प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में जनपद वाराणसी को 04 दिवसीय टी–20 नेशनल दिव्यांग क्रिकेट कार्यक्रम के आयोजन हेतु रू. 10.00 लाख की धनराशि व प्रदेश में 10 जनपदों में हाफ व होम की स्थापना संचालन हेतु रू. 166.88 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। वर्तमान में राज्य निधि के नाम से संचालित बैंक खाता के ब्याज सहित कुल रू. 2465.32 लाख की धनराशि अवशेष है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रू0 500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

नवीन योजना (राजस्व पक्ष)

1. दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन

दिव्यांगता के क्षेत्र में शोध एवं विभाग द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में तैनात प्रशिक्षकों को सेवा दौरान प्रशिक्षण प्रदान किये जाने और दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिये विशेष पाठ्यक्रम तैयार किये जाने आदि के लिये दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र के संचालनार्थ वित्तीय वर्ष 2023–20024 हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 110000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1126670 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रू0 4200.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 11771 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू0 3740.00 लाख के प्राविधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू0 264.00 लाख़ की धनराशि से लगभग 1131 दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अर्न्तगत रू0 106.04 लाख़ की धनराशि से लगभग 1060 दिव्यांगजनो को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्व ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 300.00 लाख पूजीगत पक्ष धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जनउपयोगी भवनों का एक्सेस आडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु रू0 400.00 लाख पूजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रू0 60.00 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्विविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेंकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू0 2930.70 लाख का प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण एवं साज सज्जा हेतु कुल रू0 1297.01 लाख का प्राविधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक/बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रू0 1015.66 लाख का प्राविधान है।
13. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र के लिए रू0 200.00 लाख का प्राविधान है।
14. दिव्याँगजनो के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में दिव्याँगजनो को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

18	19–''सुगम्य भारत अभियान'' योजनान्तर्गत चिन्हित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों की वेबसाइटों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाया जाना	60.00
19	20–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई–साइकिल	100.00
20	21–पालनहार योजना	100.00
21	22–लखनऊ में 'ब्रेल प्रेस' की स्थापना (2235 02 101 22 00)	34.31
22	23–उ0प्र0जगतगुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट	200.00
23	24–कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र का संचालन	400.00
24	25–कौशल विकास केन्द्र की स्थापना (2235 02 101 25 00)	31.01
25	26–अमरावती पुरूषोत्तम बहुउददेशीय दिव्यांगजन विकास संस्थान, वाराणसी (2235 02 101 26 00)	49.60
26	27–मानसिक मन्दित बच्चो/दिव्यांगजन हेतु मनोविकास केन्द्र	37.15
27	28–दिव्यांगता पर राज्य अनुसंधान केन्द्र का संचालन	100.00
28	30–डा0 शकुन्तला मिश्रा, उ0प्र0 दिव्यांग विश्वविद्यालय लखनऊ	4132.52
29	31–बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना	1257.20
30	32–कुष्ठावस्था दिव्यांग भरण–पोषण अनुदान	4200.00
31	34–विशेष विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा	85.00
32	35–दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00
33	37–दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु	2.35
34	38–जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र(डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन	400.00
35	107–03–विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	35.00
36	800–03–शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा दिव्यांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	264.00
37	800–04–असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	750.00
	योग राजस्व पक्ष	**140410.27**

	24–वृहद निर्माण कार्य	400.00
15	23–डॉ0 शकुन्तला मिश्रा उ0प्र0 दिव्यांग विश्वविद्यालय, लखनऊ 2301– विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण 26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	*200.00*
16	25–स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24–वृहद निर्माण कार्य	231.66
	26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	130.00
	योग (25)	**361.66**
17	26–प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24–वृहद निर्माण कार्य	90.00
	26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	130.00
	योग (26)	**220.00**
18	28–जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालको के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24–वृहद निर्माण कार्य	91.72
	26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	124.00
	योग(28)	**215.72**
19	29–जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओ के लिए राजकीय इण्टर कालेज 26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	124.00
20	32–ममता मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24–वृहद निर्माण कार्य	160.00
	26–मशीनों एवं सज्जा / उपकरण और संयत्र	75.00
	योग (32)	**235.00**
21	33–मूक बधिर छात्र / छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई स्कूल की स्थापना निर्माण कार्य 24–वृहद निर्माण कार्य	600.00
22	34 मुख्यालय मण्डल जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	25.00
	14 मोटर गाडियों का क्रय	
	योग 4235	**12947.37**
1	**03–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण 30–निवेश / ऋण**	79.53
	योग 6235	**79.53**

अनुदान संख्या 81

(टी0एस0पी0)

धनराशि–(लाख रू0) में

1	05–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	4.69
	योग 81	**4.69**

अनुदान संख्या 83

(एस0सी0पी0)

1	03–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	2000.00
2	08–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग / श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	240.00
	योग 83	**2240.00**
	समग्र योग	**155681.86**

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24
1	2	3	4	5	6
29	31–बचपन, नर्सरी स्कूलों की स्थापना (2235 02 101 31 00)	779.34	867.27	867.27	1257.20
30	32–कुष्ठावस्था विकलांग भरण–पोषण अनुदान (2235 02 101 32 00)	3750.00	3950.00	4215.96	4200.00
31	34–विशेष विद्यालयों में विकलांग विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक विशेष शिक्षा (2235 02 101 34 00)	77.73	85.00	85.00	85.00
32	35–दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन (2235 02 101 35 00)	500.00	500.00	500.00	500.00
33	37–दिव्यांगता पर गठित सलाहकार बोर्ड की बैठक से सम्बन्धित व्यय हेतु (2235 02 101 37 00)	0.00	2.35	2.35	2.35
34	38–जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र(डी0डी0आर0सी0) की स्थापना/संचालन (2235 02 101 38 00)	0.00	400.00	400.00	400.00
35	107–03–विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थाओं को सहायता	22.05	35.00	35.00	35.00
36	800–03–शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन	120.25	264.00	264.00	264.00
37	800–04–असहाय विकलांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	541.75	640.00	640.00	750.00
	योग 2235	**110416.31**	**132309.55**	**166436.21**	**140410.27**

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24
1	2	3	4	5	6
17	25–स्पर्श राजकीय बालक इण्टर कालेज, गोरखपुर 24–वृहद निर्माण कार्य	200.00	200.00	200.00	231.66
	26–मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	0.00	0.00	130.00
	योग(25)	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**361.66**
18	26–प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय 24–वृहद निर्माण कार्य	141.55	201.55	201.55	90.00
	26–मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	0.00	0.00	130.00
	योग(26)	**141.55**	**201.55**	**201.55**	**220.00**
19	28–जनपद सोनभद्र में संकेत मूक, बधिर बालकों के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24–वृहद निर्माण कार्य	50.00	50.00	50.00	91.72
	26–मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	25.00	0.00	124.00
	योग(28)	**50.00**	**75.00**	**50.00**	**215.72**
20	29–जनपद कुशीनगर में संकेत मूक, बधिर बालिकाओं के लिए राजकीय इण्टर कालेज 24–वृहद निर्माण कार्य	20.18	0.00	0.00	0.00
	26–मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	25.00	0.00	124.00
	योग(29)	**20.18**	**25.00**	**0.00**	**124.00**
21	32–ममता मानसिक मंदित बालिका विद्यालय, लखनऊ 24–बृहद निर्माण कार्य	162.79	70.00	70.00	160.00
	26–मशीनों एवं सज्जा/उपकरण और संयत्र	0.00	0.00	0.00	75.00
	योग(32)	**162.79**	**70.00**	**70.00**	**235.00**
22	33–मूक छात्र/छात्राओं हेतु संकेत जूनियर हाई–स्कूल की स्थापना 24–वृहद निर्माण कार्य	300.00	400.00	400.00	600.00
23	03–मुख्यालय/मण्डल/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान 14–मोटर गाड़ियों का क्रय	0.00	0.00	0.00	25.00
	योग 4235	**6556.09**	**9341.45**	**9941.45**	**12947.37**
1	**6235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कर्ज** **02–समाज कल्याण** **101–विकलांग व्यक्तियों का कल्याण**				
	03–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुर्नवास दुकान निर्माण 30–निवेश/ऋण	79.53	79.53	79.53	79.53
	योग 6235	**79.53**	**79.53**	**79.53**	**79.53**

अनुदान संख्या 81 लेखाशीर्षक 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 796 जनजातिय क्षेत्र उप योजना (2235–02–796–03–20)

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24
1	2	3	4	5	6
1	03–निराश्रित विधवाओं के भरण–पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हेतु अनुदान 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	0.00	0.00	0.00	0.00
2	05–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)	2.00	2.00	2.00	4.69
	योग 81	**2.00**	**2.00**	**2.00**	**4.69**

अनुदान संख्या 83

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24
1	2	3	4	5	6
1	03–नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण–पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना) 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	900.00	900.00	900.00	2000.00
2	08–शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु सहायता 20–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)	218.91	240.00	240.00	240.00
	योग 83	**1118.91**	**1140.00**	**1140.00**	**2240.00**

तालिका-ग

वित्तीय संसाधनों के स्रोत

धनराशि लाख रू० में

क्रम संख्या	मद	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2021–22	आय–व्ययक अनुमान 2022–23	पुनरीक्षित अनुमान 2022–23	आय–व्ययक अनुमान 2023–24
1	2	3	4	5	6	7
1	79	2235	110416.31	132309.55	166436.21	140410.27
2	79	4235	6556.09	9341.45	9941.45	12947.37
3	79	6235	79.53	79.53	79.53	79.53
4	83	2235	1118.91	1140.00	1140.00	2240.00
5	81	2235	2.00	2.00	2.00	4.69
	कुल योग		**118172.83**	**142872.53**	**177599.19**	**155681.86**

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	2	3	1	5
34	वैयक्तिक सहायक श्रेणी–1	4	4	0
35	वैयक्तिक सहायक श्रेणी–2	9	2	7
36	आशुलिपिक ग्रेड–4	12	0	12
37	सहायक लेखाधिकारी	2	2	0
38	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
39	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
40	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	2
41	लेखाकार	64	11	53
42	सहायक लेखाकार	23	7	16
43	अधीक्षक	19	0	19
44	फिजियोथेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
45	स्पीच थेरेपिस्ट (ममता विद्यालयों हेतु)	2	0	2
46	स्पीच थेरेपिस्ट (संकेत विद्यालयों हेतु)	8	0	8
47	सांकेतिक भाषा इण्टरप्रेटर	35	0	35
48	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (स्पर्श विद्यालयों हेतु)	9	0	9
49	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (संकेत विद्यालयों हेतु)	5	0	5
50	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (अस्थि बाधित विद्यालयों हेतु)	2	0	2
51	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए	1	0	1
52	प्रूफ रीडर	1	0	1
53	मोबिलिटी अध्यापक स्पर्श विद्यालयों हेतु	9	0	9
54	पुस्तकालयाध्यक्ष	11	0	11
55	सहायक लाइब्रेरियन स्पर्श विद्यालयों हेतु /विभागीय विद्यालय समेकित	8	0	8
56	छात्रावास वार्डेन, संकेत विद्यालयों हेतु /स्पर्श विद्यालय	5	0	5
57	छात्रावास अधीक्षक	8	1	7
58	नर्स/कम्पाउंडर/ हास्टल वार्डेन	20	3	17
59	कम्प्यूटर प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
60	मोबिलिटी प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
61	छात्रावास अधीक्षक (महिला/पुरूष) (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	11	0	11
62	शीघ्र पहचान इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	15	0	15
63	व्यवसायिक प्रशिक्षण इकाई प्रशिक्षक (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	11	0	11
64	ब्रेल मुद्रण तकनीशियन (समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों हेतु)	7	0	7
65	व्यायाम शिक्षक	15	1	14
66	स्टोर कीपर	1	0	1
67	सेल्समैन	1	1	0

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द/अधिकारीगण/ कर्मचारीगण का विवरण

माह जनवरी, 2021 तक

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार			अन्य विवरण
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा	
1	कुलपति	01	01	00	00	01	00	
2	वित्त अधिकारी	01	00	01	00	00	00	अतिरिक्त प्रभार
3	कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
4	परीक्षा नियत्रंक	01	01	00	01	00	00	
5	प्रोफेसर	33	10	23	00	10	00	
6	रीडर / एसोसिएट प्रोफेसर	64	22	42	00	22	00	
7	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	139	47	92	00	47	00	
8	विशेष शिक्षक	06	04	02	00	04	00	
9	उप कुलसचिव	01	01	00	00	01	00	
10	सहायक कुलसचिव	02	02	00	00	02	00	
11	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	00	00	01	00	
12	प्रोग्रामर ग्रेड–1	02	00	02	00	00	00	
13	प्रोग्रामर ग्रेड–2	01	00	01	00	00	00	
14	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	02	00	02	00	00	
15	प्रशासनिक अधिकारी	05	04	01	04	00	00	
16	व्यवस्थाधिकारी	01	00	01	00	00	00	
17	जन सम्पर्क अधिकारी	02	00	02	00	00	00	
18	प्लेसमेन्ट अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
19	सम्परीक्षा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
20	विधि अधिकारी	01	01	00	00	01	00	
21	क्रीड़ा अधिकारी	01	00	01	00	00	00	
22	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	00	02	00	
23	जन सम्पर्क सहायक सह स्वागती	02	00	02	00	00	00	
24	क्रीड़ा सहायक	01	00	01	00	00	00	
25	प्रधान सहायक	09	00	09	00	00	00	
26	वरिष्ठ सहायक	54	22	32	00	22	00	
27	सम्परीक्षक	04	00	04	00	00	00	
28	सहायक लेखाकार	12	04	08	00	04	00	वर्तमान में लेखाकार
29	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02	00	02	00	00	00	
30	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड –1	02	00	02	00	00	00	
31	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड –2	09	06	03	00	00	00	
32	आशुलिपिक	11	00	11	00	06	00	
33	सहायक स्टोर कीपर	02	00	02	00	00	00	
34	आर्ट एवं क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	04	00	04	00	00	00	
35	संगतकर्ता	02	00	02	00	00	00	
36	मोबिलिटी ट्रेनर	01	01	00	00	01	00	
37	मनोवैज्ञानिक	02	01	01	00	01	00	
38	स्पीचथेरेपिस्ट	01	01	00	00	01	00	
39	विधि सहायक	04	00	04	00	00	00	
40	कनिष्ठ सहायक	113	05	108	00	05	00	
41	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–2	02	00	02	00	00	00	
42	प्रयोगशाला सहायक	11	00	11	00	00	00	
43	डिमान्सट्रेटर	11	00	11	00	00	00	
44	चिकित्सालय अधीक्षक	01	01	00	01	00	00	
45	नेत्र चिकित्सक	01	00	01	00	00	00	
46	मनोचिकित्सक	01	00	01	00	00	00	

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, उ0प्र0 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	अभ्युक्ति
1	राज्य आयुक्त	01	01	00	सीधी भर्ती
2	उपायुक्त (चिकित्सा संवर्ग)	01	01	00	अतिरिक्त प्रभार
3	उपायुक्त, (संविदा के आधार पर)	04	01	03	संविदा पर
3	विधि अधिकारी	01	01	—	सीधी भर्ती
4	सहा0 विधि अधिकारी	01	—	01	पदोन्नति का पद
5	वैयक्तिक सहायक	01	—	01	पदोन्नति/सेवा स्थानान्तरण का पद
6	वरि0 सहायक	02	01	01	पदोन्नति का पद
7	वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2	02	—	02	पदोन्नति का पद
8	आशुलिपिक ग्रेड–2	03	02	01	सीधी भर्ती
9	कनि0 सहायक	(04 सीधी भर्ती)	04	01	01 पद चतुर्थ श्रेणी के पद से पदोन्नति हेतु आरक्षित वर्ष वही रिक्त
10	ब्रेललिपि रीडर	01	—	01	सीधी भर्ती
11	वाहन चालक	01	01	—	सीधी भर्ती
12	चपरासी	05	05	00	01 पद स्थाई एवं 04 पद अस्थाई आउट सोर्सिंग
	सफाई कर्मचारी	01	01	—	आउट सोर्सिंग
योग		**29**	**17**	**12**	